संख्या-11/2025/ /74-2-2025

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय,
उ0प्र0,लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 मई, 2025

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में 05-मुख्यमंत्री रेशम विकास योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक रेशम विकास अनुभाग-02, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 10/2025/204/74-2-25 दिनांक 09/04/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निदेशक, रेशम के पत्र संख्या 02 सेरी०/लेखा/मुख्यमंत्री/बजट मांग/2025-26 दिनांक 01/04/2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107- रेशम उत्पादन उद्योग-05-मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना" नामक नयी योजना हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए निदेशक, रेशम विकास विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत रेशम विकास अनुभाग-02 के उक्त शासनादेश संख्या 10/2025/204/74-2-25 दिनांक 09/04/2025 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

सुनील कुमार वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-11/2025/ /74-2-25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

भूपेंद्र बहादुर सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।